रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 1974/भाद्र 19, 1896
No. 219] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 1974/BHADRA 19, 1896

इस भाग से भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LOK SABHA
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September 1974

No. 46/3/CI/74.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin—Part II, dated the 9th September, 1974, is hereby published for general information:—

"**No. 1933**

Amendments to Directions by the Speaker under the Rules of Procedure of Lok Sabha

In pursuance of rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the Speaker has made the following amendments to the Directions:—

DIRECTION 55

1. In Direction 55, *after* clause (1), the following new clause shall be inserted, namely:—

'(1A) The provisions of clause (1) shall also *mutatis mutandis* apply to the proceedings of meetings held by the Speaker with the Leaders of Parties and Groups in Lok Sabha.'

DIRECTION 115

2. In Direction 115, *after* clause (5), the following new clause shall be added, namely:—

'(6) The item regarding statement to be made by the member and the statement to be made by the Minister in reply thereto shall not be put down in the list of business unless copies thereof have been submitted in writing to the Speaker sufficiently in advance and the Speaker has approved them. Words, phrases and expressions which are not in the statements as approved by the Speaker, if spoken, shall not form part of the proceedings of the House.'

S. L. SHAKDHER,
Secretary-General"

लोक सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1974

सं० 46/3/सी० आई०/74.—लोक सभा समाचार भाग 2, दिनांक 9 सितम्बर, 1974 में प्रकाशित निम्नलिखित पैराग्राफ एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

"संख्या 1933

लोक सभा के प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा निदेशों में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में अध्यक्ष ने निदेशों में निम्नलिखित संशोधन किये हैं :—

निदेश 55

1. निदेश 55 में खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(1क) खण्ड (1) के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित उन बैठकों की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ की जायेंगी ।"

निदेश 115

2. निदेश 115 में खण्ड (5) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(6) सदस्य द्वारा दिये गये वक्तव्य और प्रत्युत्तर में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य सम्बन्धी मद को उस समय तक कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक उन वक्तव्यों की लिखित प्रतियां पर्याप्त समय पूर्व अध्यक्ष को न दी जायें और अध्यक्ष उनका अनुमोदन न कर दें । यदि ऐसे शब्द, वाक्यांश और अभिव्यक्तियां प्रयोग की जाती हैं जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित वक्तव्यों में नहीं हैं, तो वे सभा की कार्यवाहियों का भाग नहीं होंगी ।"

श्यामलाल शकधर,
महासचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974